

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर-313001

Email: ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in; Tel.no. 0294-2424748; Fax no..0294-2418137

क्रमांक एफ 5 ()मुवस/वसु/2021-22/ 1137 दिनांक :- 17/2/2022
निमित्त,

उप वन संरक्षक,
डूंगरपुर।

विषय:— वनभूमि में आने वाला “ Laying Underground Optical Fiber Cable Along the Road within the existing Row Ratabpur to khairwara, M/s telesonic Networks Limited. Total Route Length – 48.940 km” District- Dungarpur & Udaipur Rajastha.” के वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु ऑनलाईन किये गये proposal No.FP/RJ/OFC/120932/2021)

प्रसंग:— आपका पत्रांक 5362 दिनांक 25.12.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र से **OFC** केबल **0.2511 हैक्टर** वनभूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव आपकी अनुशंसा के साथ इस कार्यालय को प्रेषित किया गया, जिसका परीक्षण किये जाने पर प्रकरण में निम्न कमियाँ पाई गई।

- 1-प्रस्ताव में संलग्न प्रयोक्ता विभाग द्वारा प्रस्तुत अण्डरटेकिंग एवं संलग्न नक्शों पर उप वन संरक्षक के प्रति हस्ताक्षर नहीं है।
- 2-प्रकरण के पार्ट-1A के बिन्दु संख्या-4(i) में details of vegetation available in the forest land proposed for diversion में area शून्य बताया गया है आवश्यक details भरे।
- 3-प्रकरण के पार्ट-1A के बिन्दु संख्या-5 Working plan prescription for the forest land proposed for devirson NIL बताया गया है जबकि इसमें वर्किंग सर्कल का नाम वांछित है।
- 4- प्रकरण के पार्ट-1A के बिन्दु संख्या-6 में Brief note on vulnerability of the forest area to erosion NA बताया गया है। जबकि इसमें vulnerability की स्थिति वांछित है।
- 5-पार्ट-1A के बिन्दु संख्या-8(i) में Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion में NA लिखा गया है। सही detail भरे।
- 6- पार्ट-1A के बिन्दु संख्या-10(i) में NO data भरा गया है, सही detail भरे।
- 7-आप द्वारा पार्ट-1A में No violation certificate ऑनलाईन अपलोड नहीं किया गया है।
- 8-आप द्वारा Recommendation certificate की हार्ड कॉपी प्रस्ताव के साथ


नहीं भिजवाई गई है। ऑनलाईन किया गया certificate गलत है। सही प्रमाण पत्र संलग्न करें।

9- प्रस्ताव में गजट नोटिफिकेशन की कॉपी संलग्न नहीं हैं। संलग्न करें।

अतः प्रस्ताव मूल ही तीन प्रतियों में लौटाये जाकर लेख है कि उक्तानुसार लगाये गए आक्षेपों की बिन्दुवार पूर्ति कर पुनः इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी ध्यान रखा जावे कि कोई भी प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करने से पूर्व आप स्वयं पार्ट-1 एवं पार्ट-11 का भंलीभांति अवलोकन करने के उपरान्त ही आगामी कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब ना हो।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार। (मूल प्रस्ताव तीन प्रतियों में।)

भवदीय,


(आर.के.सिंह)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
उदयपुर।

3 set Remud.

Ashok Mahala

(ASHOK MAHALA)

Mob. 9529028446

ole